# श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के पश्चिमी सिंहभूम भ्रमण का प्रतिवेदन।

**दिनांक 17 एवं 18 जुलाई, 2019**
**प्रस्थान** 17.07.2019, रांची, 8.00 बजे पूर्वाह्न
**वापसी** 18.07.2019, रांची, 7.00 बजे संध्या।

**भ्रमण कार्यक्रम का विवरण**

**दिनांक 17.07.2019, खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत उलीराजाबासा गांव में शिकायतकर्ताओं अपीलकर्ताओं के साथ बैठक, उलीराजाबासा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र एवं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण एवं निरीक्षण।**

खाद्य आयोग को उलीराजाबासा ग्राम से खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों से भी आयोग को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके, आलोक में आयोग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कुल नौ (9) गांवों से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 377 शिकायतें खाद्यान्न नहीं मिलने की थीं। इसके अलावा 200 से अधिक लोगों ने आयोग के समक्ष सामूहिक अपील की थी। इन शिकायतों के आलोक में आयोग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। आयोग की टीम को उलीराजाबासा पहुंचने के पूर्व ही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा इस मामले में कृत कार्रवाई और उसके आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी (कार्रवाई की प्रति इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है)। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की दिशा में खूंटपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भ्रमण के दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बैठक के माध्यम से लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा था। इस अवसर पर आयोग की टीम द्वारा उपस्थित लाभुकों को उनकी शिकायत पर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से अवगत कराया गया।

**उलीराजाबासा ग्राम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन**

इसके बाद आयोग की टीम ने उलीराजाबासा ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। पूछताछ के क्रम में गांव वालों ने जानकारी दी कि गांव में दो आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित हैं, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है। फिलहाल एक ही केंद्र से दोनों का संचालन किया जा रहा है। दोनों आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं चांदमनी लागुरी एवं मोनिका पूर्ति ने बताया कि विगत तीन माह से जन वितरण प्रणाली से आंगनबाड़ी केंद्र को दिये जानेवाले चावल की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए 3 से 6 साल तक के बच्चों को दोपहर के समय दिया जानेवाला गरम पका–पकाया भोजन दिया जाना बंद है। बच्चों को सिर्फ सुबह का नाश्ता, जिसमें 3 दिन दलिया दिया जाना है, उपलब्ध कराया जा रहा है। मार्च, 2019 से अंडा दिया जाना भी बंद है।

आयोग ने पाया कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को विगत 3 माह से दोपहर का पका–पकाया गर्म भोजन नहीं उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (का) का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त अवधि का खाद्य सुरक्षा भत्ता सभी पंजीकृत बच्चों को भुगतान कर आयोग को प्रतिवेदन भेजें।

उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल तक के कुल 39 बच्चों में से 28 बच्चे कुपोषित थे। आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 22 थी, जिसमें 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच के पंजीकृत बच्चों की संख्या 40 थी, जबकि आबादी के अनुसार गांव में कम से कम 60 बच्चे होने चाहिए। अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र की पहुंच से अभी भी बहुत से बच्चे बाहर हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी जुड़ी हैं। अतः सभी बच्चों का पंजीकरण करना और उनको निगरानी में रखना स्वास्थ्य एवं पोषण के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका, पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य लाभार्थी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों। साथ में चल रही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शीला कुमारी ने बताया कि खाद्यान्न का आवंटन एवं आपूर्ति झारखंड राज्य खाद्य निगम से ही उपलब्ध नहीं कराया गया है।



पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

उलीराजाबासा गांव की आबादी लगभग 14 सौ है। वर्तमान TFR (टोटल फर्टिलिटी रेट) 2.5 के हिसाब से 2017 से अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभुकों की कुल संख्या लगभग 20 होनी चाहिए, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार मात्र छह लाभुक पाये गये। लाभुकों के पंजीकरण की संख्या और वास्तविक संख्या में काफी अंतर की संभावना है। अर्थात सभी गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण का एक बार पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पात्र लाभार्थी कोई छूट न जाये।

अतः जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम को सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सभी लाभुकों की पहचान के लिए गहन सर्वेक्षण करायें, ताकि कोई लाभुक छूटने न पाये।

## मध्याह्न भोजन योजना

आयोग की टीम प्राथमिक विद्यालय उलीराजाबासा में मध्याह्न भोजन के समय पहुंची। उस समय कुल 140 में से 105 बच्चे विद्यालय में उपस्थित थे। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा एवं नियमितता सही पाई गई। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रतिदिन मध्याह्न भोजन देने के पूर्व किसी एक शिक्षक द्वारा उसे चख कर रजिस्टर में टिप्पणी देने के उपरांत खाना परोसा जाता है। साथ में उपस्थित सतर्कता एवं निगरानी समिति की सदस्य सह जिला परिषद सदस्य सुशीला पूर्ति द्वारा भी बताया गया कि खूंटपानी प्रखंड के अधिकतर विद्यालयों में भोजन देने के पूर्व उसे चखने की नियमित प्रक्रिया लागू है, जो कि एक सराहनीय कदम है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम से आग्रह एवं सुझाव है कि जिले के सभी विद्यालयों में इसे लागू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सेंटेनियल पांडेया, सहायक शिक्षक बिहुला सरदार और चमर महतो काफी सक्रिय एवं सहयोगी दिखे।

## जन वितरण प्रणाली

उलीराजाबासा से आयोग को प्राप्त शिकायत के आलोक में शिकायत कर्ताओं से मुलाकात की गई। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश की प्रति एक दिन पूर्व ही आयोग को प्राप्त हुई थी। अतः शिकायत कर्ताओं के समक्ष जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश को पढ़कर सुनाया गया एवं कहा गया कि आदेश के अनुपालन की प्रतीक्षा की जाए। यदि यदि समय–सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो आयोग कार्रवाई करेगा।

## बाईपी गांव का भ्रमण

खूंटपानी के बाद चक्रधरपुर प्रखंड के बाईपी गांव से प्राप्त शिकायतों के आलोक में आयोग की टीम ने गांव में जाकर शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदार केदार सिंह पूर्ति द्वारा वर्ष 2018 में सितंबर अक्टूबर–नवंबर एवं दिसंबर तथा 2019 में जनवरी माह का राशन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त एवं जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी प्राप्त है। इसके अनुसार दिनांक 05.02.2019 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को पूर्व में प्रेषित आवेदन की छाया प्रति के साथ उपरोक्त राशन दुकानदार पर कार्यवाही करने संबंधी आवेदन दिया गया था। इसके साथ ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव की छाया प्रति भी संलग्न की गई थी। ज्ञातव्य हो कि दिनांक 28.05.2018 को ही डीलर केदार सिंह पूर्ति द्वारा राशन नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत पत्र जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर, 12.01.2019 को ग्राम सभा की बैठक में लिए गए प्रस्ताव की प्रति अंचल अधिकारी को 05.02.2019 को ही दी गई थी। अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2019 को शिकायतकर्ताओं रसिका दिग्गी, जेरू कायम, प्रधान दिग्गी तथा राफेल कायम को नोटिस भेजा गया कि उन सभी पर राशन वितरण कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने की स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ज्ञातव्य हो कि अंचल अधिकारी को दिए गए आवेदन में ग्राम सभा द्वारा उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में राशन वितरित करने के निर्णय संबंधी जानकारी अंचलाधिकारी को दी गई थी, ताकि लाभुकों को पूरी मात्रा में राशन मिल पाये। ऐसा नहीं होने पर दुकान में ताला लगा दिए जाने की सूचना भी दी गई थी। अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, अतः निर्णय लिया गया कि शिकायतकर्ताओं में से कोई दो प्रतिनिधि अगले दिन दिनांक 18.07.2019 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हों, ताकि इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की जा सके।


पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

## दिनांक 18.07.2019

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 18.07.2019 को श्रीमती जिंगी हाइबुरू एवं चार अन्य शिकायत कर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई प्रारंभ हुई, जिसमें शिकायत की गई थी कि 30.02.2018 से जून, 2018 तक कुल पांच माह का राशन उन्हें नहीं मिला है। दुकानदार एवं संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी सुनवाई में बुलाया गया था। सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि नोटिस जाने के बाद डीलर ने उन्हें पांच माह का राशन उपलब्ध करा दिया था। जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित नहीं थे, इस कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। डीलर पर आगे की कार्रवाई का निर्णय जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अगली सुनवाई में करेंगे। तत्पश्चात बाईपी गांव की शिकायत के संबंध में चर्चा हुई एवं इस केस की सुनवाई की तिथि निश्चित की गई। शिकायत कर्ताओं की अधिकतम संख्या को देखते हुए आयोग ने जिला स्तर पर ही इस केस की सुनवाई हेतु निर्णय लिया।

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक

सुनवाई के उपरांत जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के साथ बैठक कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की बारीकियों से अवगत कराया गया। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना एवं आंगनबाड़ी केंद्र से दिए जाने वाले गर्म पका–पकाया भोजन (HOT COOKED MEAL) की स्थिति की समीक्षा की गई एवं उसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

## उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम के साथ बैठक

उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम के साथ बैठक में क्षेत्र भ्रमण में पाए गए तथ्यों से उपायुक्त को अवगत कराया गया एवं निम्नलिखित सुझाव दिए गएः–

1. आहार पोर्टल के माध्यम से जिले के सभी गांव के एकल परिवार के सदस्यों की पहचान कर उनमें से असहाय, वृद्ध या विकलांग महिला एवं पुरुष जो स्वयं खाना बनाने या खाने का सामान जुटाने में अक्षम है, उन्हें मध्याह्न भोजन योजना अथवा आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़कर कम से कम एक वक्त का भोजन सुनिश्चित कराया जाए।
2. आंगनबाड़ी केंद्र से दिया जाने वाला राशन एवं अन्य सामग्री के क्रय में होने वाले व्यय का भुगतान वर्तमान में विपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। इसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र से मिलनेवाली सेवाओं में अनियमितता रहती है एवं इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मध्याह्न भोजन योजना की तर्ज पर अग्रिम भुगतान किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. उलीराजाबासा आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र में 3 वर्ष से कम आयु के 72% बच्चे कुपोषित पाए गए। राज्य में कुपोषण उपचार केंद्र से प्राप्त कुल भर्ती बच्चों में से 90% से ऊपर बच्चे 3 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः जिला प्रशासन अगर उचित समझे, तो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) से छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़कर या उनके साथ क्रेच का संचालन कर कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु उपाय कर सकते हैं। आयोग द्वारा उपायुक्त को ओडिशा राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में DMFT से क्रेच चलाने की व्यवस्था की जानकारी दी गई, जहां संपर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

4. जरूरतमंद छूटे हुए वैसे परिवार, जो राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते हैं, को राशन कार्ड सुनिश्चित करने हेतु अयोग्य कार्डधारियों को सूची से हटाने के लिए झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश–2019 की कंडिका 7 का उपयोग किया जाए।

5. सभी जनवितरण दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, मध्याह्न भोजन से जुड़े विद्यालयों के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों एवं शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में दीवार लेखन अथवा अन्य व्यवस्था के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाए।


पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

6. सभी योग्य लाभुकों के पेंशन एवं राशन की निगरानी हर माह हो। इसके संबंध में सतत अनुश्रवण की व्यवस्था हो। साथ मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी हेतु उपलब्ध ONLINE SMS का विश्लेषण एवं इसके आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

ह0/–

(हलधर महतो)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा०खा०आ०(भ्रमण) 03/18– राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निदेशक, मध्याह्न भोजन/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा०खा०आ०(भ्रमण) 03/18– 421 राँची, दिनांकः– 30.10.19

प्रतिलिपिः– उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/ जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा/ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

30/10/2019.

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।


पता–ई–1/8 साकेत नगर (निबंधन कार्यालय के सामने) हिनू, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261